श्रीमान तहसीलदार महोदय टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला मंदसौर म.प्र.

प्रकरण ऋमांक 0896/अ-6/2023-24

मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार ग्राम स्वात्यासेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर

प्रार्थी हक़त्यागग्रहिता

बनाम

गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी -मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार

विपक्षी हक़त्यागकर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109-110 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थीं ने विपक्षी से निम्न वर्णित भूमि को बजर्ये हक़त्याग विलेख क्रमांक MP46464646 दिनांक 01-10-2023 के क्रय की है जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है। सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर गांव का नाम कर्णखेड़ी जहां भूमि स्थित है।

अत : श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि पर प्रार्थीं का नामांतरण किया जावे ।

दिनांक -

हस्ताक्षर प्रार्थी

फार्म अ (परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये) राजस्व आदेश - पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा के न्यायालय में मामला क्रमांक 0896/अ-6/2023-24 विषय हक़त्याग विलेख के आधार पर नामांतरण बाबत प्रकरण की श्रेणी जॉच प्रतिवेदन ग्राम कर्णखेड़ी बंदोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक 08 मंदसौर कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक सन 20 - 20 तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक.....सन 200 -200 तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 0896 सन 20 -20

		1
आदेश ऋमांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा	जहा आवश्यक हो पर्ची
कार्यवाही की	कार्यवाही	अथवा वकीलों के
तारीख और	(2)	हस्ताक्षर,आदेशों के पालन
स्थान		करवाकर लिपिक के
(1)		संक्षिप्त हस्ताक्षर और
		प्रकरण की तारीख
		(3)
/ /2023	आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम	SL-
	खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर द्वारा	
	म.प्र.भू.रा.स.1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम कर्णखेड़ी	Date- / /2023
	स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे	विज्ञप्ति,पटवारी लेटर
	नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर विकेता गोरधन पिता	एवं नोटिस
	किशनलाल जाति पाटीदार निवासी मोहनलाल पिता	3,
	किशनलाल जाति पाटीदार के स्थान पर हक़त्याग विलेख	
	क्रमांक MP464646446 दिनांक के आधार पर	
	नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया	
	गया ।	
	1911	
	- प्रकरण दर्ज हो ।	
	- प्रवार्ग पुजा हो । - विज्ञप्ति जारी हो ।	
	- पटवारी से प्रतिवेदन लिया जावे ।	
	- हितबद्ध पक्षकार तलब हो ।	
	पेशी दिनांक / /2023	
	पशा दिनाक <i> 2</i> 025 	
	तहसीलदार	
	टप्पा कयमपुर	
	तहसील दल्लौदा	

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)

/री-1/2023 टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा, दिनांक ऋमांक प्रति. SL -पटवारी ग्राम- कर्णखेडी

नामांतरण प्रकरण में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

Date- / /2023

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक हक़त्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम कर्णखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर हक़त्यागकर्ता गोरधन पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार निवासी- के स्थान पर हक़त्याग विलेख क्रमांक MP46464646 के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया । प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24 न्यायालय में प्रचलित है। अतः उक्त भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आप अपनी रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यत: प्रस्तुत करें।

- 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं?
- 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?
- 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं?
- 4. म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?
- 5. वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?
- 6. मौके पर भूमि सिंचित है या असिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा असिंचित है ?
- 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?
- 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा, अथवा किसी की आपत्ति है या नहीं ?
- 9. नामांतरण किये जाने की अनुसंशा है अथवा नहीं?

उक्त रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुतकी जावें । नियत पेशी दिनांक तक प्रकरण में आपकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उक्त नामांतरण प्रकरण में आपकी अनुसंशा मानी जाकर एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेगी । एक तरफा कार्यवाही किये जाने के बाद प्रकरण में आपत्ति/विवाद होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपका माना जावेगा । अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावे ।

> तहसीलदार टप्पा कथमपुर तहसील दल्लौदा

/

/2023

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा,जिला मंदसौर(म.प्र.) (मामले वाद धारा 109, 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता नामांतरण)

		SL-	
प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24			
	Date- /	/2023	

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कर्णखेड़ी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर हक़त्यागग्रहिता मंगल पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार, निवासी ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत कर हक़त्याग विलेख के आधार पर हक़त्यागकर्ता गोरधन पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार, निवासी के स्थान पर नामांतरण हेतु इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।

अतएव जिस किसी को आपत्ति हो विज्ञप्ति चस्पा होने के दिन से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम कर्णखेड़ी अथवा न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा में प्रस्तुत करें । अविध गुजरने के बाद को किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक / /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

प्रतिलिपि:-

- 1. एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे ।
- 2. एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
- 3. एक प्रति बाद निर्वाहन वापस हो ।

तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष तहसीलदार स्थान दल्लौदा मामले	SL-
के विषय नामांतरण मामला	
प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24	Date- / /2023
श्री/श्रीमती आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्र	ाम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर
	विरूद्ध
	14 K-05
दाव	т
श्री/श्रीमती गोरधन पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनल कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दो तारीख / /2023 मुद्रा	**
•	
	रीडर टू तहसीलदार
	टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा
प्रष्टाकन क्रमांक 01	
बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर	
प्रष्टाकन क्रमांक 02	
तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन	
तारीख माह सन 2023 को बजे मेरे बाद ता	मिल किया गया ।
	तामील करने वाले के हस्ताक्षर
नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उ	पस्थित हो ।
	·
राजस्व मामले	r में नोटिस
_	
समक्ष तहसीलदार स्थान दल्लौदा मामले	SL-
के विषय नामांतरण मामला प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24	Date / /2022
त्रकरण कमाक 0896/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्र	Date- / /2023 गम खाल्याबेडी तहसील दलौटा जिला मंदसौर
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1.1 (4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(
	विरूद्ध
दाव	T
***	•
श्री/श्रीमती गोरधन पिता किश्चनलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनल कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दो तारीख / /2023 मुद्रा	
	रीडर टू तहसीलदार
	राजर टू तहसालपार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा
प्रष्टाकन क्रमांक 01	
बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रष्टाकन ऋमांक 02	
तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन	C C
तारीख माह सन 2023 को बजे मेरे बाद ता	मिल किया गया ।
	भारताचाचा गाचा ।

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो ।

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा,जिला मंदसौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

हक़त्यागग्रहिता के कथन

नाम पिता/पित का नाम व जाति - मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार उम्र -

व्यवसाय

निवासी - ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर

मैं शपथ पुर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा हक़त्यागकर्ता गोरधन पिता किश्ननलाल जाति पाटीदार,टप्पा कयमपुर तहसील-दल्लौदा, जिला -मंदसौर से ग्राम कर्णखेड़ी तहसील मंदसौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर विक्रय मूल्य रूपये....... मे क्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा हक़त्यागकर्ता को अदा कर दिया है। आवेदित भूमि पर हक़त्यागकर्ता के स्थान पर मेरा नामांतरण किया जावे। बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा,जिला मंदसौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 0896/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

हक़त्यागकर्ता के कथन

- गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार नाम पिता/पति का नाम व जाति।

उम्र

व्यवसाय

मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी

मैं शपथ पुर्वक कथन करता/करती हूं कि मेरे द्वारा हक़त्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर से ग्राम हक़त्यागग्रहिता मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर विऋय मूल्य रूपये मे विक्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा हक़त्यागग्रहिता से प्राप्त कर लिया है। आवेदित भूमि पर मेरे स्थान पर हक़त्यागग्रहिता का नामांतरण किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

तहसीलदार टप्पा कथमपुर तहसील दल्लौदा

कार्यालय पटवारी हल्का नम्बर 08 ग्राम कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला मंदसौर (म.प्र.)

	_	
प्रा	ति.	

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा जिला - मंदसौर (म.प्र.)

हेक्टर पर नामांतरण किये जाने हेतु जॉच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

विषय:- नामांतरण प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :- न्यायालय के प्रकरण क्रमांक **0896 /अ-6/2023-24** दिनांक / /2023 के पालन में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक **मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर द्वा**रा ग्राम **कर्णखेड़ी** स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर

जॉच के बिन्दु ऋ. 1 राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नही ? राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है 2 3 राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ? म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नही है ? 5 वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ? मौके पर भूमि सिंचित है या अंसिचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा अंसिचित है ? कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन मे तो उपयोग नही हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ? कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख तो नहीं है ? 9 उक्त भूमि पर बैंक बंधक है या नहीं 10 नामान्तरण किये जाने कि अनुसंशा है अथवा नहीं ?

न्यायालय तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा, जिला - मंदसौर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - 0896/अ-6/2023-24

मंगल पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार, निवासी - ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर(म.प्र.) (हक़त्यागग्रहिता).......आवेदक विरूद्ध गोरधन पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनलाल पिता किश्रनलाल जाति पाटीदार (म.प्र.) (हक़त्यागकर्ता).......अनावेदक

//आदेश//
पारित दिनांक - ____/___/2023
(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत नामान्तरण संबंधी)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक (हक़त्यागग्रहिता) मंगल पिता किश्ननलाल जाति पाटीदार, निवासी – ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर (म.प्र.) के द्वारा भू -राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत हक़त्यागकर्ता गोरधन पिता किश्ननलाल जाति पाटीदार निवासी - मोहनलाल पिता किश्ननलाल जाति पाटीदार (म.प्र.) के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP46464646 दिनांक 01-10-2023 के आधार पर ग्राम - कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर नामांतरण किये जाने का निवेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया । आवेदक ने आवेदन के समर्थन में खसरा बी- 1 रजिस्टर्ड दानपत्र, हक़त्यागकर्ता का शपथ – पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयाविध उपरांत आज दिनांक तक कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई । प्रकरण में मौजा पटवारी कर्णखेड़ी से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें पटवारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है – 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि नहीं है 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में विकेता के नाम से दर्ज है 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि नहीं है 4. म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित नहीं है 5. कब्जे संबंधी विवरण रजिस्टर्ड विकय पत्र में उल्लेखित है 6. मोके पर भूमि सिंचित हैं। 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा हैं। 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपित्त का उल्लेख नहीं है 9. उक्त भूमि बेंक में बंधक दर्ज नहीं है । राजस्व रिकार्ड में हक़त्यागकर्ता का नाम आवेदित भूमि पर दर्ज होना बताया व रिकॉर्ड अनुसार नामांतरण किये जाने में सहमित व्यक्त की गयी।

मेर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन अध्ययन व परीक्षण किया गया जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हक्तत्यागकर्ता का शपथ पत्र, पटवारी मौजा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार निवासी – ग्राम ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए, ग्राम कर्णखेड़ी टप्पा क्यमपुर तहसील दल्लौदा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1280 रकबा 0.87 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर पर हक्तत्यागकर्ता गोरधन पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी – ग्राम मोहनलाल पिता किशनलाल जाति पाटीदार (म.प्र.) के स्थान पर आवेदक (हक्तत्यागग्रहिता) मंगल पिता किशनलाल जाति पाटीदार, निवासी – ग्राम ग्राम खात्याखेड़ी,तहसील दलौदा,जिला मंदसौर (म.प्र.) का नामांतरण स्वीकृत किया जाता है । मोजा पटवारी को पृथक से आदेश जारी कर 07 दिवस में संशोधित खसरा प्रति मंगाई जाये । बाद पूर्णता प्रकरण समाप्त होकर दायर रिकार्ड दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक / /2023 को मेरे बोलने पर टंकन किया गया व मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा

क्रमांक /री-1/2023

टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि,

पटवारी मोजा कर्णखेड़ी टप्पा कयमपुर तहसील दल्लौदा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

> तहसीलदार टप्पा कयमपुर तहसील - दल्लौदा